प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज,
कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर तथा अम्बेडकरनगर।
3. निदेशक,
उ0प्र0ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान,
सैफई, इटावा।

संख्याः एम0ई0–3/2012/978-80 लखनऊःदिनांक 31 मई 2012

विषयः सी0पी0एम0टी0 काउंसिलिंग के समय जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि वापस किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि सी0पी0एम0टी0 काउंसिलिंग के समय छात्रों द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/–, जो किन्ही कारणों से छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि व्यतीत हो जाने के बाद अभी तक प्राप्त नहीं की गयी है, को वापस किये जाने हेतु कतिपय छात्रों द्वारा इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं।

उक्त के संदर्भ में सूचित करना है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने गत वर्षों में सी0पी0एम0टी0 काउंसिलिंग के समय उनके द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि अभी तक वापस प्राप्त नहीं की है, की सिक्योरिटी धनराशि वापस प्राप्त किये जाने हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 30 जून 2012 निर्धारित की जाती है।

आपसे अनुरोध है कि आपके कालेज के ऐसे छात्र, जिन्होने अभी तक अपनी सिक्योरिटी धनराशि वापस प्राप्त नहीं की है, के प्रार्थना पत्र संकलित करते हुये संबंधित अभिलेखों सहित (बैंक में जमा की गयी धनराशि की डी0जी0एम0ई तथा अभ्यर्थी की कापी मूलरूप में) अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दिनांक 30 जून 2012 के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवदीय,

(सौदान सिंह)
महानिदेशक

संख्याः एम0ई0–3/2012/981 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी सेवायें, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ प्रधानाचार्यो को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सौदान सिंह)
महानिदेशक

General

28/5/12